संख्या- 15/2021/290/74-2-2021-05(ब)/2020

प्रेषक,

कृष्ण कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांकः 09 जुलाई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या -10 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में "लेखा शीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107- रेशम उत्पादन उद्योग-03-रेशम निदेशालय " के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -73/सेरी0/लेखा/मशीन सज्जा/बजट मांग/2021-22 दिनांक 21 जून, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या -10 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय -107- रेशम उत्पादन उद्योग-03-रेशम निदेशालय " हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

मद सं0	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
14	मोटर गाड़ियों का क्रय	5.00	5.00
25	लघु निर्माण कार्य	5.00	5.00
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00	10.00
	योग	**20.00**	**20.00**

(रूपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति /सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृति नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलंबतम 15 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनांतर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में दी शर्तों/नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(12) कोविड-19 के कारण प्रदेश में उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-107- रेशम उत्पादन उद्योग-03-रेशम निदेशालय " की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कृष्ण कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 15/2021/290(1)/74-2-20121 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

अवध नारायण
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।